न्यायालय उप खण्ड अधिका री राजगढ जिला अलवर

अनुवान::मनभरी बनाम रामगोपाल

13.62019 आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 राज0का0अधिनियम के तहत मय शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेनद किया गया। कि वो हाल आराजी खसरा नम्बर 745, 746, 747, 748 किता 4 कुल रकबा 0.80 है 0 ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर तथा खसरा नम्बर 20, 21, 22, 23, 104, 105, 106 134, 135, कुल किता 9 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ की मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगाभी तारीख पेशी दिनांक 01.7.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति बनाये रखे। साथ मे नोटिस जारी हो कि उन्हे कोई एतराज हो तो दिनांक 01.7.2019 को उपस्थित न्यायालय होकर पे करे। दर्ज रजि0 हो।

13/06/19

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

तारीख हुक्म	**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	12/01/26 पत्रावली पेश। वकु. उप. मूलवाद का निस्तारण हो जाने के कारण प्रा. पत्र 212 की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तामील मूलवाद संलग्न होकर जमा हो।